# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर,जिला–

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज

| तारीख हुक्म | |
|---|---|
| | हजारी ........ बनाम ........ मदन मोहन<br>मु.न.– 14/25 किस्म – 212. |
| | हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 11/12/25 को पेश हो। |
| | 11.12.25 — अभिभाषकों द्वारा न्यायिक कार्य का स्थगन रखा गया, जिससे न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 30.12.25 को पेश हो। |
| | 30.12.25 — अभिभाषकों द्वारा न्यायिक कार्य का स्थगन रखा गया जिससे न्यायिक कार्य नहीं हो सका पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 8.01.26 को पेश हो। |
| | 8.1.26 — अभिभाषकों द्वारा न्यायिक कार्य का स्थगन रखा गया जिससे न्यायिक नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 20.1.26 को पेश हो। |
| | 20.01.26 — पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी ने संशोधित शीर्षक दिनांक 20.11.25 को पेश किया। प्रा.पत्र 212. पर उभय पक्ष की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। पत्रावली में प्रार्थी का प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अस्वीकार किया जाकर। मामला विरुद्ध निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर जरिये दफ्तर होकर दल बाद के साथ |

# राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

| मुकदमा संख्या | तारीख रजू | तारीख निर्णय |
|---|---|---|
| 10/2025 | 23.01.2025 | 20.01.2026 |

**बउनवान**

1. हजारी पुत्र रामसहाय, निवासी लोटवाडा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा ।

..प्रार्थी/सायल

**बनाम**

1. मदनमोहन पुत्र रघुनाथ, निवासी नांगल लोटवाडा, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा।
2. अजीत सिंह पुत्र विक्रम, निवासी नांगल लोटवाडा, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा।
3. रतनी देवी पत्नी गोपाललाल, निवासी नौरंगवाडा तहसील महवा, जिला दौसा।
4. नहनूराम पुत्र परसादीलाल, निवासी सुनग्याडा की ढाणी लोटवाडा,बैजूपाडा जिला दौसा।
5. पिंकी पुत्री मन्नूराम, निवासी नांगल लोटवाडा, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा।
6. बच्चू सिंह पुत्र मन्नूराम, निवासी नांगल लोटवाडा, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा।
7. बीना पुत्री मन्नूराम, निवासी नांगल लोटवाडा, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा।
8. मानसिंह पुत्र स्व. रामसहाय, निवासी नांगल लोटवाडा, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा।
9. रघुनाथ पुत्र स्व. रामसहाय, निवासी नांगल लोटवाडा, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा।
10. विमलेश पत्नी स्व. विक्रम, निवासी नांगल लोटवाडा, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा।
11. शिवानी पुत्री विक्रम, निवासी नांगल लोटवाडा, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा।
12. महेश पुत्र गिर्राज, निवासी नांगल लोटवाडा, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा।
13. कजोडी पत्नी मिश्रीलाल, निवासी नौरंगवाडा, तहसील महवा, जिला दौसा।
14. गंदी पत्नी मन्नूराम, निवासी नांगल लोटवाडा, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा।
15. नाथूलाल पुत्र मिश्रीलाल, निवासी नौरंगवाडा, तहसील महवा, जिला दौसा।
16. प्यारेलाल पुत्र नारायण, निवासी नांगल लोटवाडा, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा।
17. प्रेमबाई पुत्री मिश्रीलाल, निवासी नौरंगवाडा, तहसील महवा, जिला दौसा।
18. भजनी पुत्र मिश्रीलाल, निवासी नौरंगवाडा, तहसील महवा, जिला दौसा।
19. मूल्या पुत्र नारायण, निवासी नांगल लोटवाडा, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा।
20. रूपन्ती पुत्री मिश्रीलाल, निवासी नौरंगवाडा, तहसील महवा, जिला दौसा।
21. रामगोपाल पुत्र मिश्रीलाल, निवासी नौरंगवाडा, तहसील महवा, जिला दौसा।
22. रामभरोसी पुत्र मिश्रीलाल, निवासी नौरंगवाडा, तहसील महवा, जिला दौसा।
23. रोहिताश पुत्र मन्नूराम, निवासी नांगल लोटवाडा, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा।
24. शिवचरण पुत्र मिश्रीलाल, निवासी नौरंगवाडा, तहसील महवा, जिला दौसा।
25. सजनबाई पुत्री मिश्रीलाल, निवासी नौरंगवाडा, तहसील महवा जिला दौसा।
26. सुआलाल पुत्र गिर्राज, निवासी नांगल लोटवाडा तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा।
27. उपपंजीयक बैजूपाडा, जिला दौसा।
28. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार बैजूपाडा, जिला दौसा।

..अप्रार्थीगण

उपस्थित

1. अभिभाषक प्रार्थी – श्री मुकेश सिंह ।
2. अभिभाषक अप्रार्थी सं. 8, 9 – राजूलाल मुराडिया।
3. अभिभाषक अप्रार्थी सं. 3 – लक्ष्मीनारायण मीना।
4. अभिभाषक अप्रार्थी सं. 5, 7 – भुवनेश कुमार मीना।

## प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

## निर्णय

1. प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी की विवादित आराजीयात ग्राम नांगल तहसील बैजूपाडा जिला दौसा के खाता सं. 203 के खसरा सं. 144, लगायत 152, 277, 284, कुल किता 11 कुल रकबा 2.02 हैक्टे., खाता संख्या 204 के खसरा सं. 158, 159, 161 लगायत 167, 253, 254, 255, 260 लगायत 267, 269, 278, कुल किता 22 कुल रकबा 5.23 हैक्टे., खाता संख्या 205 के खसरा सं. 282, 283, 285 लगायत 290, 296, कुल किता 9 कुल रकबा 2.41 हैक्टे., खाता संख्या 206 के खसरा सं. 157, 159/2490, 160, 168, 279, 280, 281, 295, 297, कुल किता 9 कुल रकबा 1.58 हैक्टेयर स्थित है। खसरा सं. 144 लगायत 152 एवं 277, 284 कुल रकबा 2.02 हैक्टे. पर सायल एवं गैरसायल सं. 1 लगायत 27 की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि है। वादग्रस्त आराजीयात में सायल व गैरसायल सं. 1 लगायत 27 सहखातेदार है जिनका हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। सायल एवं गैरसायल सं. 1 लगायत 27 ने आपसी सहमति से मौके पर बॅटवारा कर रखा है तथा उसी के अनुसार मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे है किन्तु अभी तक विधिवत बटवारा नहीं हुआ है। वादग्रस्त भूमि का जब तक कानूनी विभाजन नहीं हो जाता है, तब तक प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक इंच आराजी पर कानूनन कब्जा माना जाता है। खातेदार झूमकली देवी व लडडो देवी का देहान्त हो चुका है जिनके वारिसान पूर्व से ही है। सायल एवं गैरसायल संख्या 1 लगा. 27 अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त है। सायल मेहनत व प्रयास से अपने हिस्से की आराजी को उपजाऊ बनाया है। गैरसायल सं. 1 लगायत 27 के मन में बदयान्ती आने से वे सायल की आराजी पर कब्जा करना चाहते है तथा निर्माण करना चाहते है। दिनांक 16.01.2025 को सायल अपनी आराजी पर अपनी फसल की देखभाल करने गया तो वहां पर पूर्व से ही मौजूद गैरसायल संख्या 1 लगा. 27 व उनके प्रतिनिधि मिले और कहने लगी कि तुम्हारे पास हिस्सा से अधिक जमीन है इसलिये इस आराजी का हम पुनः विभाजन करेंगे। सायल ने कहा कि हमारे पास हमारे हिस्सा के अनुसार ही जमीन है तथा इसका पूर्व में ही विभाजन हो चुका है जिसके अनुसार हम व आप मौके पर काबिज काश्त है। यदि आपके किसी प्रकार की शंका है तो तहसील कार्यालय में चल कर आपसी सहमति से विभाजन करवा लेते है। तो गैरसायलान ने कहा कि हम तो कहीं नहीं जायेगें और हम तो अच्छी जमीन पर कब्जा कर तुमकों बेदखल करेगे। यदि तुम ज्यादा करोगे तो हम हमारे हिस्से की जमीन को किन्हीं दीगर लटठबाज व्यक्तियों को विक्रय कर देगें जो आपके हिस्से

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

की जमीन पर भी कब्जा कर लेगे। तो सायल ने कहा कि अभी हमारा कानूनन बटवारा नही हुआ है एवं उक्त आराजी सायल के हिस्सा की आराजी है। उक्त भूमि की किस्म भी कृषि भूमि दर्ज रिकार्ड है। सायल से एलानिया कहा कि हमारे लट्ठ में ताकत है हम कानूनी बँटवारा को नहीं मानते है हमारी मर्जी होगी हम वही करेगे। सायल को शान्तिपूर्वक अपने हिस्से एवं खातेदारी की जमीन में काश्त करने से मना कर दिया तथा अपने हिस्से की आराजी को अन्य व्यक्तियों को विक्रय करने की धमकी दी। यदि गैरसायलान उक्त धमकी में सफल हो गये तो सायल को अपने अधिकारों से वंचित होना पड़ेगा तथा अपूरणीय क्षति होगी । इसलिये यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान न्यायालय के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ है। सायल वादग्रस्त आराजी में सहखातेदार है इसलिये प्रथम दृष्टया मामला सायल के पक्ष में बखूबी साबित है तथा सुविधा का संतुलन भी सायल के पक्ष में बखूबी साबित है। गैरसायलान को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया गया तो वे अपनी ऐलानिया धमकी में सफल हो जावेंगे जिससे सायल को अपूरणीय क्षति होगी । जबकि गैरसायलान को पाबंद करने पर उनको किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं है इस प्रकार अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी सायल के पक्ष में बखूबी साबित है। अतः निवेदन है कि गैरसायलान को दौराने दावा इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वो उक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थना पत्र में जब तक कानूनी बँटवारा नहीं हो जावे तब तक कोई रहन बेचान मुन्तकिल नहीं करे एवं विवादित आराजी के किसी भी भाग पर किसी प्रकार का निर्माण नहीं करे। सायल के हिस्से व कब्जा काश्त में गैरसायलान किसी भी प्रकार की रूकावट, मजाहमत, मदाखलत पैदा नहीं करे और ना ही किसी अन्य से करावे। सायल को शांतिपूर्वक फसल काश्त करने दे। उक्त कार्य न तो स्वयं करे और ना ही किसी अन्य से करावे राजस्व रिकॉर्ड व मौके की स्थिति यथावत बनाये रखे।

2. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुतिकरण के समय अप्रार्थीगण के विरुद्ध अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने के लिए बहस का निवेदन किया। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया जाकर अप्रार्थीगण के विरुद्ध दिनांक 23.01.2025 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गयी कि अप्रार्थीगण ग्राम नांगल पटवार हल्का लोटवाडा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा में स्थित उक्त विवादित आराजीयात भूमि के वर्तमान मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखेंगे।

3. अप्रार्थीगण को वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र नोटिस जारी किए गए। अप्रार्थी सं. 1 लगायत 7 व 10 लगायत 28 ने न्यायालय में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया, इसलिए इनके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए इनके जवाब का अवसर बंद कर दिया गया। अप्रार्थी सं. 8 व 9 ने न्यायालय में जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के अधिकांश तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया कि प्रार्थी को किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं है जबकि माननीय द्वारा हम गैरसायलान के खिलाफ किसी प्रकार का आदेश पारित किया जाता है तो उससे गैरसायलान को ही अपूरणीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से होना संभव नहीं होगी । इस प्रकार अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी सायल के पक्ष में नहीं होकर गैरसायलान के पक्ष में

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

बखूबी साबित है। अत: जवाब प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार कर सायल का प्रार्थ पत्र मय हर्जा खर्चा के खारिज फरमाये जाने की कृपा करें।

4. पत्रावली प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावे का अवलोकन किया गया तथा विद्वान अभिभाषक प्रार्थी एवं अप्रार्थी की बहस पर मन किया। अस्थायी व्यादेश जारी किये जाने बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 क धारा 212 में प्रावधान है कि :

*212. व्यादेश के लिए और रिसीवर की नियुक्ति के लिए उपबंध – इस अधिनियम के अधीन किसी वाद या कार्यवाही में यदि शपथ–पत्र द्वारा अथवा अन्यथा यह सिद्ध हो जाय कि –*

*(क) किसी सम्पत्ति का, जिससे ऐसा वाद वा कार्यवाही संबंधित है, उसके किसी पक्षकार द्वारा दुर्व्ययन करने, उसे नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने का खतरा है, या*

*(ख) ऐसे वाद या कार्यवाही का कोई पक्षकार, न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के अनुक्रम में उक्त सम्पत्ति को हटाने अथवा व्ययन करने की धमकी देता है या ऐसा आशय रखता है।*

*तो न्यायालय अस्थायी व्यादेश कर सकेगा और, यदि आवश्यक हो तो, रिसीवर नियुक्त कर सकेगा।*

*(2) कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन व्यादेश किया गया है अथवा जिसकी सम्पत्ति के बारे में रिसीवर नियुक्त किया गया है इतनी रकम की नकद प्रतिभूति दे सकता है जितनी, वाद या कार्यवाही ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध विनिश्चित होने की दशा में विरोधी पक्षकार को मुआवजा देने के लिए न्यायालय अवधारित करे, और ऐसी प्रतिभूति की रकम जमा किये जाने पर न्यायालय, यथास्थिति, व्यादेश या रिसीवर की नियुक्ति के आदेश को प्रत्याहत कर सकेगा।*

5. प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने के लिए प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन तथा अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं को तय किया जाना है। जमाबन्दी सम्वत् 2076–2079 के अनुसार, विवादित आराजीयात के प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण रिकॉर्डेड सहखातेदार है इस प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध वाद पत्र तकास्मा तथा स्थायी निषेधाज्ञा के लिए प्रस्तुत किया गया है। सहखातेदार होने के कारण अप्रार्थीगण का तथा प्रार्थी का अविभाजित आराजी में प्रत्येक इंच पर हिस्सा होता है। इस कारण से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में नहीं पाया जाता है। अविभाजित भूमि में रिकॉर्डेड खातेदार (अप्रार्थीगण) के विरूद्ध निषेधाज्ञा जारी होने से उनके खातेदारी अधिकारों पर विपरीत प्रभाव होगा तथा खातेदारी अधिकारों के उपयोग में अप्रार्थीगण को बाधा होगी। इस कारण निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण असुविधा तथा अपूरणीय क्षति होगी। इस कारण सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति सिद्धांत की प्रार्थी के पक्ष में नहीं पाया जाता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थीगण के विरूद्ध निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित नहीं है।

## आदेश

6. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अस्वीकार किया जाकर ग्राम नांगल, पटवार हल्का लोटवाडा, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

में स्थित विवादित आराजीयात खाता सं. 203 के खसरा सं. 144 लगायत 152, 277, 284 कुल किता 11 कुल रकबा 2.02 हैक्टे. खाता संख्या 204 के खसरा सं. 158, 159, 161 लगायत 167, 253, 254, 255, 260 लगायत 267, 269, 278 कुल किता 22 कुल रकबा 5.23 हैक्टे., खाता संख्या 205 के खसरा सं. 282, 283, 285 लगायत 290, 296 कुल किता 9 कुल रकबा 2.41 हैक्टे., खाता संख्या 206 के खसरा सं. 157, 159/2490, 160, 168, 279, 280, 281, 295, 297 कुल किता 9 कुल रकबा 1.58 हैक्टेयर के सम्बन्ध में इस न्यायालय द्वारा जारी अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 23.01.2025 के प्रचलन को समाप्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(अमित कुमार वर्मा) **R.A.S.**
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

7. निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 20.01.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

(अमित कुमार वर्मा) **R.A.S.**
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)